

छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर
// अधिसूचना //

कमांक फ 6-108/2016/स्त-1/5865 नया रायपुर दिनांक **17 OCT 2016**
 छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (कमांक-20, सन् 1959) की धारा-67 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (असर्वेक्षित ग्राम) में राजस्व सर्वेक्षण संबंधी कार्य के प्रारम्भ होने की घोषणा करता है। यह क्षेत्र जारी अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक कि ऐसी संकियाओं के बन्द किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे:-

जिले का नाम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	क्र.	राजस्व सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का क्षेत्र	प. ह.न.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
नारायणपुर	नारायणपुर	नारायणपुर	1	भरण्डा	3	वन ग्राम से घोषित राजस्व ग्राम.
			2	टेमरुगाव	3	
			3	सुपगाव	1	न तो राजस्व न ही वन ग्राम
			4	कातुलबड़ा	04	
			5	डितुलवाड़	4	
			6	कुमगाव	04	
			7	गारा	04	
			8	हुच्चाकोट	04	
			9	धनोरा	16	
	ओरछा	अनुपलब्ध	10	धुरबेड़ा		असर्वेक्षित ग्राम
			11	खोड़पार		
			12	कोकोड़ी		
			13	कोहकापार		
			14	काडतामडको		
			15	माटवाड़ा		
			16	फरसबेड़ा		
			17	आदिमपाल		
			18	गोमागाल		
			19	गुमरका		
			20	बडटाण्डाबड़ा		
			21	मंडाली		

आयुक्त
 1562
 15/11/16
 रायपुर

राजस्व निरीक्षक
 नारायणपुर
 15/11/16

15/11/16
 नारायणपुर